

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका

पी0 ए0 वाद सं0-126/15-16

परमेश्वर हेम्ब्रम, सा0-खिजुरिया.....आवेदक।

बनाम

16 आना रैयत, मौजा- खिजुरिया, अंचल-जरमुण्डी.....विपक्षी।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

9.10.17

आदेश

यह प्रधानी नियुक्ति वाद आवेदक परमेश्वर हेम्ब्रम, पे0-स्व0 मताल हेम्ब्रम, सा0-खिजुरिया, अंचल-जरमुण्डी द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत दायर आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। आवेदक द्वारा कहा गया है कि आवेदक के पिता मताल हेम्ब्रम मौजा खिजुरिया के अंतिम प्रधान थे, जिनकी मृत्यु दिनांक-08.3.16 को हो चुकी है। अतः उन्हें मौजा खिजुरिया के प्रधान पद पर नियुक्ति किया जाय। इनके द्वारा मताल हेम्ब्रम की नियुक्ति पट्टा की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, जरमुण्डी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं 16 आना रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, जरमुण्डी से जांच प्रतिवेदन एवं 16 आना रैयतों पर निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, जरमुण्डी द्वारा उनके पत्रांक-1200/रा0, दिनांक-16.11.16 द्वारा प्राप्त हैं। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी के द्वारा उल्लेख किया गया है कि परमेश्वर हेम्ब्रम, पे0-स्व0 मताल हेम्ब्रम अंतिम प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र है। पूर्व प्रधान की पत्नी मकु सोरेन द्वारा बताया गया है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र परमेश्वर हेम्ब्रम को प्रधान पद पर नियुक्ति होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 16 आना की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है।

अतः आवेदक परमेश्वर हेम्ब्रम, पे0-स्व0 मताल हेम्ब्रम को मौजा खिजुरिया का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे शीघ्र जमानत की राशि, कबूलियत पट्टा आदि जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनु0पदा0

अनुमंडल पदाधिकारी  
दुमका।

DBN-443  
23/10/17

12/03/19

आदेशानुसार नवनिष्ठा प्रमाण की ओर  
प्राप्ति कारिका जमा कर कबलिना वीरवम  
क्रिया गमा व देखा प्रमाण को पत्र-मार्ग  
को।

अनुपम  
प्रमाण

प्रमाण प्रमाण

प्रमाण प्रमाण

EVD-1100  
प्रमाण